बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–17/06/26

सं0सं0–प्र0–I–रा0(वि0)–02/2023–......................./एम0, श्री मुकेश कुमार तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, मुख्यालय सम्प्रति सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, नालंदा द्वारा मुख्यालय में पदस्थापन अवधि के दौरान आवंटित कार्यों का निष्पादन ससमय एवं सही रूप से नहीं गया, कई बार मौखिक रूप से सचेत किये जाने के बावजूद कार्य पद्धति में कोई सुधार नहीं की गई, समाहरण की समीक्षात्मक बैठक का प्रतिवेदन ससमय तैयार नहीं की गई एवं कार्य में लापरवाही बरती गई, जिसके आलोक में श्री मुकेश कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक 2434 दिनांक 08.05.2023 से उनसे लिखित अभिकथन की माँग की गयी। श्री कुमार द्वारा पत्रांक 2953 दिनांक 05.06.2023 को लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षोपरांत उनका बचाव अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के कारण उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2926 दिनांक 22.07.2024 से विभागीय कार्रवाई संचालित करने का निर्णय लिया गया।

2. श्री मुकेश कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 4964 दिनांक 04.09.2025 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध गठित 07 आरोपों में से 03 आरोप प्रमाणित, 03 आंशिक अप्रमाणित एवं 01 अप्रमाणित होने का मंतव्य संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया। संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक 5211 दिनांक 18.09.2025 से श्री कुमार से अभ्यावेदन की मांग की गई। श्री कुमार द्वारा पत्रांक 331 दिनांक 19.03.2026 से अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

श्री मुकेश कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। श्री कुमार के विरूद्ध आरोप मुख्यतः कार्यालय कार्य को शिथिल एवं अभिरूचि नहीं लेने, कार्यों को विलम्ब से निष्पादित करने से संबंधित है। कोई भी आरोप वित्तीय अनियमितता से संबंधित नहीं है। उनके कृत्य से सरकार को कोई राजस्व की क्षति नहीं हुई है। उनपर मुख्यतः दिन–प्रतिदिन के कार्यों में शिथिलता बरतने का आरोप है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत श्री मुकेश कुमार तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, मुख्यालय सम्प्रति सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, नालंदा को चेतावनी के साथ भविष्य में सचेत रहने का निदेश दिया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(वि0)–02/2023–................................/एम0, पटना, दिनांक.......................
प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(वि0)–02 / 2023–............................... / एम0, पटना, दिनांक........................
प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, नालंदा को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(वि0)–02 / 2023–............................... / एम0, पटना, दिनांक........................
प्रतिलिपिः–श्री मुकेश कुमार, सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(वि0)–02 / 2023–3830 / एम0, पटना, दिनांक 17/06/26
प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / निदेशक कोषांग / अपर सचिव कोषांग / राजपत्रित स्थापना (मु0) / आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/06/26
सरकार के अपर सचिव।

17.6.26